



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229076
CG-DL-E-17082021-229076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3101]
No. 3101]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SRAVANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सं. 30/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई)

का.आ. 3351(अ).—अपील सं. सी/243/2006 से उत्पन्न माननीय सीमाशुल्क उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश सं. ए/87967/17/सीबी दिनांक 12.06.2017 के अनुपालन में एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना स. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), सा.का.नि. 453 (अ), दिनांक 04 जून 2015 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित तथा यथा अधिसूचना स. 133/2015-सीमा शुल्क (गै. टै.), सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ उपरोक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपरोक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्वारा प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), 2सरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बॉलार्ड एस्टेट, मुंबई को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस सं. एवं दिनांक	स्तंभ सं. (3) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस के अनुसार भूतपूर्व न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूमिष शाह, 1709/57, गंगानगर को- ओपरेटिव सोसाइटी, पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-400075 एवं 6 अन्य	DRI/BZU/D/21/2001 दिनांक 13.03.2002.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्याय निर्णयन), 2सरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई

[फा.सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-24/2016-CI]

भारती शर्मा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

No. 30/2021-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 3351 (E).—In compliance of the Hon'ble CESTAT Order No. A/87967/17/CB dated 12.06.2017 arising out of Appeal No. C/243/2006 and in pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints the Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Import-I), 2nd Floor, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officer mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notice mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of the Noticees and Address.	Show Cause Notice Number and date.	Name of the Erstwhile Adjudicating Authorities as per the show cause notice referred to in column (3).
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhumish Shah, 1709/57, Gangasagar Co- operative Housing Society, Pantnagar, Ghatkopar (East), Mumbai and 6 others.	DRI/BZU/D/21/2001 dated 13.03.2002.	Commissioner of Customs (Adjudication), 2 nd Floor, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai.

[F.No.DRI/HQ-CI/50D/CAA-24/2016-CI]

BHARTI SHARMA, Jt. Director